रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022021-225516
CG-DL-E-26022021-225516

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]	नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 26, 2021/फाल्गुन 7, 1942
No. 70]	NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 26, 2021/PHALGUNA 7, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2021

मामला सं. एडी (ओआई) 01/2021

विषय : यूरोपीय संघ, जापान, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''मेलामाइन'' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/1/2021-डीजीटीआर.—मै. गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर्स एंड कैमिकल्स (जिसे यहां आगे ''आवेदक भी कहा गया है) ने 1995 और उसके बाद यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से आवेदन किया है जिसमें यूरोपीय संघ, जापान, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात (जिन्हें यहां आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा से निर्यातित "मेलामाइन" (जिसे यहां आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक हुई है और उसने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

<u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद ''मेलामाइन'' है । मेलामाइन एक स्वादहीन, रंगहीन और गैर-विषैला पदार्थ है । मेलामाइन का प्रयोग मेलामाइन फार्मेडीहाइड बनाने में होता है, जिसका बाद में निम्नवर्तीय उत्पादों के उत्पादन में प्रयोग होता है । मेलामाइन फार्मेडीहाइड रेजिन का प्रयोग लेमिनेट्स में होता है जो इसे कठोरता, स्क्रैच, दाग धब्बे, जल और ताप से प्रतिरोध प्रदान करता है । कछ विद्युतीय प्रयोजनों में प्रयुक्त लेमिनेटों में उच्च यांत्रिक क्षमता, उत्तम ताप प्रतिरोध और अच्छी विद्युतीय इंसुलेटिंग विशेषताएं होती हैं । एसबेस्टोज फील्ड मेलामाइन रेजिन में काफी अधिक डायलेक्ट्रिक मजबूती और उच्च प्रतिरोध होता है । सर्वोत्तम डाइमेंसनल स्थिरता के अलावा मेलामाइन फार्मेल्डीहाइड मोल्डिंग पावडर स्पष्ट और चमकीले रंग देता है, आसानी से मोल्डेबल है और सतह पर स्क्रेचिंग से प्रतिरोध प्रदान करता है ।

4. विचाराधीन उत्पाद के लिए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 29 के तहत शीर्ष 2933100 के अधीन एक समर्पित कोड है ।

<u>वस्तु</u>

5. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में कथित रूप से पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है । दोनों उत्पादों के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्य और अंतिम प्रयोग में कोई ज्ञात अंतर नहीं है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रथम दृष्टया प्रतिस्थापनीय हैं तथा इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी मानते हैं कि इन दोनों को नियमावली के अंतर्गत समान वस्तु माना जाना चाहिए ।

<u>घरेलू उद्योग</u>

6. यह आवेदन मै. गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है । आवेदक ने दावा किया है कि न तो उसने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित हैं । आवेदक भारत में एकमात्र उत्पादक है ।

7. उपरोक्त के मद्देनजर तथा आवश्यक जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के प्रावधानों के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार मापदंडों को पूरा करता है ।

<u>आरोपित पाटन का आधार</u>

क. सामान्य मूल्य

8. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देशों में कीमत से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उसके द्वारा सामान्य मूल्य का परिकलन बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा संबंधित लाभ को विधिवत रूप से समायोजित करने के बाद सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया गया है ।

ख. <u>निर्यात कीमत</u>

9. संबद्ध देशों के लिए संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत की गणना वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के सौदावार आयात आंकडों के आधार पर की गई है । समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, और अंतरदेशीय भाडा व्यय के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं । आवेदक द्वारा दावा की गई निवल निर्यात कीमत के संबंध में पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं ।

ग. <u>पाटन मार्जिन</u>

10. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जिससे प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक पाटन मार्जिन प्रदर्शित होता है । इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है ।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

11. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदक ने समग्र रूप से तथा भारत में मांग और आयात की दृष्टि से पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती और कीमत ह्रास तथा घरेलू उद्योग पर न्यूनकारी प्रभावों के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए है। आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारी कीमत पर विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि के परिणामस्रूप उसका कार्य निष्पादन, बिक्री, लाभप्रदता, निवेश पर आय, मालसूची के एकत्रीकरण, नकद घाटों के संबंध में बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

पाटनरोधी जांच की शुरूआत

12. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरूआत करते हैं।

संबद्ध देश

13. वर्तमान जांच में संबद्ध देश यूरोपीय संघ, जापान, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात हैं।

जांच की अवधि

14 आवेदक ने 1 अप्रेल, 2019 – 30 सितंबर, 2020 (18 महीने) की जांच अवधि का प्रस्ताव किया है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रेल, 2016- 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल, 2017- 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018- 31 मार्च, 2019 और जांच अवधि की अवधि शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।

15. AD नियमों के नियम 5 (3A) में निम्नलिखित बातें हैं:

"जांच की अवधि, -

(i) जाँच शुरू होने की तारीख को छह महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए;

(ii) सामान्य रूप से बारह महीने की अवधि के लिए और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, नामित प्राधिकारी न्यूनतम छह महीने या अधिकतम अठारह महीने पर विचार कर सकता है "

16. वर्तमान जांच में लंबी अवधि उचित है क्योंकि कोविद -19 द्वारा 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में व्यापार प्रभावित हुआ था। लंबी अवधि पर विचार करना पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए अधिक उपयुक्त होगा। उपर्युक्त के मद्देनजर वर्तमान हेतु प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रेल, 2019 से 30 सितंबर, 2020 तक की है और क्षति अवधि में 1 अप्रैल, 2016- 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल, 2017- 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2017- 31 मार्च, 2017 और जांच अवधि की अवधियां शामिल होंगी।

प्रक्रिया

17. उक्त नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

18. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg11-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dd13-dgtr@gov.in तथा dd16-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

19. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

22. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पतों adg11-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dd13-dgtr@gov.in तथा dd16-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

23. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ठ. **गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

25. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

26. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

27. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

28. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों सभव नहीं है।

29. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

30. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

31. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

32. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वैबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे सभी अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अगोपनीय अंश को ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं रहेगी ।

असहयोग

33. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2021

(Case No. AD (OI) 01/2021)

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Melamine originating in or exported from the European Union, Japan, Qatar and the United Arab Emirates.

F. No. 6/1/2021-DGTR.—M/s. Gujarat State Fertilizers and Chemicals (hereinafter referred to as the ‘applicant’) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Rules”), for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Melamine” (hereinafter referred to as ‘subject goods’ or ‘product under consideration’) originating in or exported from European Union, Japan, Qatar and United Arab Emirates (hereinafter referred to as ‘subject countries’).

2. The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports, originating or exported from the subject countries and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries.

Product under consideration

3. The product under consideration in the present investigation is “Melamine”. Melamine is a tasteless, odourless and non-toxic substance. Melamine is used for making melamine-formaldehyde, which in turn is used in producing downstream products. Melamine formaldehyde resin used in laminates offers hardness, resistance to scratch, stain, water and heat. Laminates used in some electrical applications possess high mechanical strength, good heat resistance and good electrical insulating properties. Asbestos filled Melamine resins possess very high dielectric strength and high resistance. Besides the best dimensional stability, Melamine Formaldehyde moulding powder gives clear and bright colours, easily moldable and offers resistance to surface scratching.

4. The product under consideration has a dedicated code under Chapter-29 of the Customs Tariff Act, 1975 under heading 29336100.

Like article

5. The Applicant has claimed that the subject goods, which have been alleged to be dumped in India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences in the technical specifications, quality, functions and end use of the two products. The Authority notes that the two are prima facie technically and commercially substitutable. Hence, for the purposes of the present investigation, the Authority holds that the two should be treated as 'like article' under the Rules.

Domestic industry

6. The application has been filed by M/s Gujarat State Fertilizers and Chemicals Limited. The applicant has claimed that it has neither imported the subject goods from the subject countries nor are they related to any exporter or producer of the subject goods in the subject countries or any importer of the product under consideration in India. The applicant is the sole producer in India.

7. In view of the above, and after due examination, the Authority notes that the applicant constitutes eligible domestic industry in terms of the provisions of Rule 2(b) and the application satisfies the criteria in terms of Rule 5(3) of the Rules.

Basis of Alleged Dumping

a. Normal Value

8. The Applicant has claimed that the data relating to price in the subject countries is not available. The normal value has been thereby constructed based on best estimates of the cost of production of subject goods as per the best available information after duly adjusting selling, general & administrative expense with related profits.

b. Export price

9. The export price for subject goods for the subject countries have been computed based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics transaction-wise import data. Price adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, bank charges and inland freight expenses. There is sufficient prima facie evidence with regard to the net export price claimed by the Applicant.

c. Dumping margin

10. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which prima facie shows dumping margin is above the de-minims level and is significant in respect of the product under consideration from the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the product under consideration from subject countries is being dumped in Indian market by the exporters from the subject countries.

Injury and causal link

11. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury taken place as a result of the alleged dumping in form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to demand and imports in India, price undercutting and price suppressing and depressing effect on the domestic industry. The applicant has claimed that its performance has been adversely impacted in respect of sale, profitability, return on investment, accumulation of inventories, cash losses as a result of increase in imports of product under consideration at an injurious price for the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence that the injury is being caused to the domestic industry by dumped imports from subject countries.

Initiation of anti-dumping investigation

12. On the basis of the duly substantiated written application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, about dumping of product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the

injury to the domestic industry.

Subject countries

13. The subject countries in the present investigation are European Union, Japan, Qatar and United Arab Emirates.

Period of Investigation

14. The applicant has proposed the period of investigation as 1st April 2019 – 30th September 2020 (18 months). The injury investigation period has been proposed to cover the periods 1st April 2016-31st March 2017, 1st April 2017-31st March 2018, 1st April 2018-31st March 2019 and the period of investigation.

15. Rule 5 (3A) of the AD Rules states the following:

"The period of investigation shall, -

(i) not be more than six months old as on the date of initiation of investigation;

(ii) be for a period of twelve months normally and for reasons to be recorded in writing, the designated authority may consider a minimum of six months or maximum of eighteen months"

16. A longer period of investigation is appropriate in the present investigation since trade in the first and second quarter of 2020-21 was impacted by Covid-19. A longer period would be more appropriate to assess the injury to the domestic industry caused due to the alleged dumped imports. In view of the above, period of investigation (POI) adopted by the Authority for the present investigation is 1st April 2019 to 30th September 2020 and the injury period will cover the periods 1st April 2016 – 31st March 2017; 1st April 2017 – 31st March 2018; 1st April 2017 – 31st March 2018 and the period of investigation.

Procedure

17. Principles as stated under Rule 6 of the said Rules shall be followed in the present investigation.

Submission of information

18. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg11-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dd13-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

19. The known producers/exporters in the subject countries, Government of the subject countries through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

21. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

22. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg11-dgtr@gov.in , adv11-dgtr@gov.in dd13-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received in the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its finding on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

23. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of Information on Confidential Basis

24. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

25. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

26. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

27. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

28. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

29. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

30. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

31. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

32. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not accessible physically due to ongoing global pandemic.

Non-Cooperation

33. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.02.26 22:16:48 +05'30'